UPKN010009202007

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–04, कानपुर नगर।</u>

उपस्थित– देवकान्त शुक्ला.........................एच०जे०एस०

विशेष सत्र वाद संख्या–163/2007

केस्को........बनाम.......माया पाल

निवासिनी– 54 बी, चन्द्रनगर, चकेरी कानपुर, आयुष्मान अस्पताल के पास

अंतर्गत धारा– 135 विद्युत अधिनियम

थाना–चकेरी, कानपुर नगर।

<u>दिनांक–16.07.2026</u>

1. पत्रावली लंच उपरान्त वास्ते निस्तारण पेश हुई। अभियुक्ता माया पाल काफी समय से गैर हाजिर हैं जिसके विरुद्ध जारी आदेशिका अंकित पते पर निवास न करने के कारण तामील नहीं हो पा रही है। पत्रावली अति प्राचीन है। दिनांक 06.06.2026 को वाद की कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 299 द०प्र०सं० अग्रसारित की गयी तथा अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

2. प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित आने पर साक्ष्य की कार्यवाही की जाएगी।

3. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ता माया पाल विगत कई वर्षों से गैर हाजिर हैं तथा उसके विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 द०प्र०सं० की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है, किंतु वर्तमान में अभियुक्ता के अंकित पते पर निवासित न होने की आख्या संबंधित थाने से प्राप्त हुई है। अभियुक्त के विरूद्ध जारी आदेशिकाओं के तामीला के संबंध में तामीलकर्ता/साक्षी उ०नि० पवन शर्मा को सी०डब्लू०–1 के रूप में लंच पूर्व परीक्षित कराया गया है।

5. प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता माया पाल के निकट भविष्य में उपस्थित आने की कोई सम्भावना दर्शित नहीं हो रही है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2026 को अभियुक्ता माया पाल को फरार घोषित किया जा चुका है। अभियुक्ता के भविष्य में न्यायालय उपस्थित आने पर पत्रावली तलब कर विधि अनुसार अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की जाएगी। इस स्तर पर अभियुक्ता

की गैर हाजिरी अवधि को दृष्टिगत रखते हुये पत्रावली को धारा 299 द०प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल अभिलेखागार किया जाना उचित है।

6. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह पत्रावली को इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर करें कि यह पत्रावली विनिष्ट न की जाये और भविष्य में अभियुक्ता के उपस्थित होने पर न्यायालय द्वारा यह पत्रावली मांगे जाने पर पत्रावली न्यायालय में पेश की जाये। तदनुसार पत्रावली धारा 299 दं०प्र०प्र० के तहत दाखिल दफ्तर हो। अभियुक्ता माया पाल के विरुद्ध स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो।

(देवकान्त शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश ई०सी० एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०–04, कानपुर नगर।
(J.O.Code–UP 6189)

Digitally signed by DEV KANT SHUKLA
Date: 2026.07.16 14:31:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court